6/7/23

2023/161 चौधरी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289

राजस्थान सरकार

2023/161 सा. पेको स्टेज

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमाक 5
धारा 212 RTA पुनः प्रतिज्ञा पत्र	133/23	6/6/23		

अनवान

श्री शंकरलाल पुत्र रामलाल धाकड़ वर्ग॰ (8) V/S श्री रामकंवरी पत्नि कजोड़ धाकड़ वर्ग (06)

निवासी लक्ष्मीखेड़ा निवासी किशननिवास

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाथ

श्री रामफूल धाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

शंकरलाल पुत्र रामलाल धाकड़ नि0 लक्ष्मीखेड़ा वगै0 (8) **बनाम** रामकंवरी पत्नि कजोड़ धाकड़ नि0 किशननिवास वगै0 (6)

प्रकरण संख्या / 33 / 2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/06/2023	प्रार्थना पत्र अधिवक्ता **श्री रामफूल धाकड़ ने** अन्तर्गत **धारा 212 रा0टी0एक्ट** के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण शंकरलाल एवं प्रार्थीगण के पूर्वज जीतमल, प्रभुलाल पुत्र रामलाल धाकड़ नि0 लक्ष्मीखेड़ा ने जरिये पंजीकृत पत्र दिनांक 25.06.1983 को तत्कालीन समय के खातेदार प्रभुलाल पुत्र उदा धाकड़, कजोड़ पुत्र उदा धाकड़, रूपा पुत्र कजोड़ धाकड़ निवासी किशननिवास के नाम पर दर्ज 2/3 हिस्से व कब्जे कि कृषि खातेदारी की भूमि का खसरा नं0 277 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वां (1.2302 हैक्टेयर) स्थित मौजा भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियां को 1/3 हिस्सा डालू पुत्र देवा धाकड़ निवासी किशननिवास का छोड़कर 2/3 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से प्रार्थीगण क्रेताओं द्वारा उनकी क्रयशुदा भूमि पर कब्जा काश्त की जा रही हैं। प्रार्थीगण के विक्रयपत्र दिनांक 25.06.1983 के आधार पर नामान्तरण संख्या 483 दिनांक 13.10.1983 को डालू पुत्र देवा धाकड़ का 1/3 हिस्सा छोड़कर 2/3 हिस्सा क्रेता जीतमल, प्रभलाल व शंकरलाल पुत्र रामलाल धाकड़ निवासी लक्ष्मीखेड़ा के नाम पर खोला गया। जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 का खाता संख्या 73 पर क्रय हिस्से अनुसार कर दिया गया। किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2047–50 में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से को हटाया जाकर खातेदारान के नाम बिना हिस्सों के जमीन दर्ज कर दी गयी। यह पृष्टांकन पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी अधिकार व आदेश के किया गया जो वैध नहीं हैं। ऑनलाईन जमाबन्दी संवत् 2075–78 में प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से के स्थान पर 1/2 कर दिया एवं विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 3 का 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज होने से विपक्षीगण संख्या 1 से 3 ने जमाबन्दी के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का बैजा फायदा उठाते हुए विपक्षी नं0 4 व 5 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 13.02.2023 को विक्रय कर दी गयी। अतः उक्त प्रकरण में मौजा भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा स्थित आराजी खसरा नं0 277 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वां (1.2302 हैक्टेयर) भूमि पर विपक्षी नं0 4 व 5 को अवैध विक्रय के आधार पर 1/2 हिस्से पर कब्जा नहीं करने, बंटवाड़ा करवाये वादग्रस्त जायदाद में प्रवेश नहीं करने, विपक्षी संख्या 06 को राजस्व रेकॉर्ड में विक्रयपत्र दिनांक 13.02.2023 की क्रियान्विति नहीं करने एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु **अस्थाई निषेधाज्ञा** जारी करना फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं मनन किया। जिससे ज्ञात होता हैं कि मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी संख्या 04 पुजा कुमारी पुत्री कैलाशचन्द्र धाकड़ नि0 बिजौलियां खुर्द, विपक्षी संख्या 05 सन्तोष देवी पत्नि अशोक कुमार विजयवर्गीय नि0 बिजौलियां को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के कब्जे, उपयोग, उपभोग में दखलनदाजी नहीं करने, विक्रयपत्र दिनांक 13.02.2023 की क्रियान्विति नहीं करने एवं मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु **अस्थाई निषेधाज्ञा** जारी की जाती हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी हो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 06/07/2023 को पेश हों। (सीमा तिवाड़ी) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा	

6/7/23 पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 1४/8/23 को वास्ते [illegible] पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

1४/8/23 पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक [illegible] 14/9/23 को वास्ते उचित आदेश पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/9/23 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते उचित आदेश दिनांक 26/10/23 को पेश हो।

26/10/23 पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/12/23 को वास्ते उचित आ. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/12/23 पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 28/12/23 को वास्ते उचित आ० पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

28/12/23 पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18/1/24 को वास्ते उचित आ. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

18/1/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 29/2/24 को वास्ते उचित. आ० पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण
शंकरलाल
गोपाललाल
सुरेशचन्द
देऊबाई

13/2/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। दोनों पक्षों ने मूल पत्रावली में राजीनामे का आवेदन दिया, जिसे स्वीकार किया गया। मूल पत्रावली

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

शंकरलाल बनाम रामकंवरी

किस्म मुकदमा 212 RTA नं. 133/23 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के निर्णीत होने के कारण। प्रार्थना पत्र को स्वतः निर्णीत किया जाता है। पूर्व में विवादित आराजीयात में दिनांक 6/7/23 के स्टे को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	कमलेश नि. उर्मिला लीला नि. रेजन प्रतिवादी/अप्रार्थीगण सन्तोष विजय [illegible] अधि. पक्षकार वर्ग [signature]